निदेशालय

गृह रक्षा, राजस्थान जलेब चौक, जयपुर ।

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ईमेल sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक: 4290-345 दिनांक: 5/02/2020

:: स्थायी आदेश सं. 07/2020 ::

निम्नहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि कुछ अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी अपने स्थानान्तरण के लिये आवेदन प्रेषित करते समय अपने नियंत्रक अधिकारी (सामान्यतः कमाण्डेन्ट) के निर्धारित चैनल को बाई पास कर सीधे निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अथवा अन्य उच्च पदस्थापित व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रेषित कर देते हैं। वर्दीधारी संगठन में निर्धारित चैनल्स को बाई पास कर सीधा उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करना स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासन हीनता का प्रतीक होकर अवांछनीय है ।

अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिये निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्थायी आदेश संख्या 05/2020 द्वारा जिला/यूनिट कमाण्डेन्ट के स्तर पर तथा निम्नहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर **''अर्दली रूम''** की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसमें प्रत्येक सोमवार को अधीनस्थों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का संस्थागत रूप से निराकरण किया जा रहा है । अतः सभी अधीनस्थों द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु इस व्यवस्था का उपयोग किया जाना वांछनीय है ।

यहां राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 की ओर ध्यान आकर्षित करना भी समीचीन होगा :–

"24. Canvassing of non-official or other influence : No Government servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government."